MOEF-EDS/Complience

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 3650/14–1(**FP/UP/Trans/156518/2022**)दिनांक, मुजफ्फरनगर 02/05.2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/04/41/ 2023/ एफ0सी0/999 दिनांक 30.03.2023 ,इस कार्यालय का पत्रांक 3498/14–1 दिनांक 15.04.2023 एवं डेडिकेटिड फ्राईट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 का पत्रांक सी0पी0एम0 /एम0 टी0सी0/ ई0एल0/ई0एल0/जे0ए0–टी0ए0 दिनांक 21.04.2023 ।

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 30.03. 2023 द्वारा कतिपय अभिलेखों/सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी,जिसके क्रम में डेडिकेटिड फ्राईट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के संदर्भित पत्र दिनांक21.04.2023 द्वारा निम्नानुसार सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करायी गयीहै–

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निरकाण
1	Since as per DSS report , the area proposed for CA falls under Haistinapur Wildlife Sanctuary, so it needs to be ascertained that CA scheme is as per Management Plan.	विषयक परियोजना में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का चयन हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत भौकरहेडी वन ब्लाक (0.3579 हे0 अवनत वन भूमि) में किया गया है तथा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की अनुमोदित प्रबन्ध योजना 2022–23 से 2031–32 के अनुसार ही क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजाना प्राविधानित की गयी है तथा प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल पर वन्य जीव विहार व वन्य जीवों हेतु उपयोगी चारा व अन्य पौधा प्रजाति का रोपण किया जायेगा तथा इस सम्वन्ध मे इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–1)**
2	NOC from concerned departments (PWD), Irrigation, NHAI, Railway etc) needs to be submitted.	डेटिकेटिड फ्राईट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के संदर्भित पत्र दिनांक 21.04.2023 के बिन्दु संख्या–2 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रस्ताव से संबंधित रेलवे एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है एवं अनुरोध किया गया है सिचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता दी जाती है एवं अनुरोध किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एफ0सी0–11/36/2022–डी0जी0एफ0 दिनांक 07.03.2022 के क्रम में प्रस्ताव को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें। **(संलग्नक संख्या–2)**
3	It appears from the kml file that some parts of forest ara are not demarcated as forest. This needs rectification/ clarification.	डेटिकेटिड फ्राईट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के संदर्भित पत्र दिनांक 21.04.2023 के बिन्दु संख्या–3 द्वारा अवगत कराया गया है कि संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट के अनुसार संरक्षित वन भूमि–एन0एच0–58 एवं पानीपत–खटीमा मार्ग को के0एम0एल0 फाईल में दर्शाया गया है। विषयक परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण रूट की के0एम0 एल0 फाईल अपलोड की गयी है तथा भाग –। के विवरणानुसार प्रस्ताव में पानीपत –खटीमा मार्ग की 0.0837 हे0 संरक्षित वन भूमि ग्राम पीनना तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर व एन0एच0–58 की 0.0864 हे0 संरक्षित वन भूमि ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर, कुल योग–0. 1701 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग निहित है। उक्त के अतिरिक्त के0एम0एल0 में दर्शाया गयें रूट में गैर वन भूमि सम्मिलित है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न, **संलग्नक संख्या–3)**

क्रमशः..................2

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक 8बी0 / यू0 पी0 / 04 / 41 / 2023 / एफ0री0 / 999 दिनांक 30.03.2023 के क्रम में वांछित सूचना 04 प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या 3650 / 14–1(**FP/UP/Trans/156518/2022)** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–उप परियोंजना प्रबन्धक डी0एफ0सी0सी0आई0 एल0 मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 21.04.2023 के क्रम में।

2–श्री ललित कुमार प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रूडकी(उत्तराखण्ड) ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संलग्नक संख्या– 1

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डवल सर्किट ''तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा''पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध मे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/999 दिनांक 30.03.2023 के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में प्रमाण पत्र । (**FP/UP/Trans/156518/2022)**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का चयन हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत भौकरहेडी वन ब्लाक (0.3579 हे0 अवनत वन भूमि) में किया गया है तथा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की अनुमोदित प्रबन्ध योजना 2022–23 से 2031–32 के अनुसार ही क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजाना प्राविधानित की गयी है तथा प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल पर वन्य जीव विहार व वन्य जीवों हेतु उपयोगी चारा व अन्य पौधा प्रजाति का रोपण किया जायेगा।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्न - 2

Table of Content

Sl No.	Description	Annex	Page no.
1	प्रयोक्ता एजेंसी का पत्र	1	1
2	उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) का पत्र	2	2
3	DFO मुजफ्फरनगर का पत्र	3	3
4	Ministry of Environment, Forest and climate Change द्वारा जारी गाइडलाइन	4	4
5	NOC Railway	5	5
6	NOC NHAI	6	6-7

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

No. -CPM/MTC/EL/EL/JA-TA/ Date: - 21.04.2023

सेवा में ,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

विषय:- डीएफसीसीआईएल द्वारा जमा प्रस्ताव संख्या **FP/UP/TRANS/156518/2022** का आपके द्वारा अवलोकित बिन्दुओ की अनुपालना के सम्बंध मे|

संदर्भ : 1. उप वन महानिरीक्षक का पत्रांक न० 8बी/यू०पी०/ 04 / 41 / 2023 / एफ.सी./ 999 दिनांक 30.03.2023
2. आपका पत्रांक संख्या - 3498/14-1(FP/UP/TRANS/156518/2022), मुजफ्फरनगर दिनांक 15.04.2023

महोदय,

आपके पत्र द्वारा अवलोकित त्रुटियो/अपूर्ण अभिलेखो की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नवत प्रस्तुत हैं-

1. CA Scheme is in the preview of forest office. Forest department may kindly review the scheme as per Management Plan (if necessary)
2. All NOC from Railway (1nos.) and NHAI (1nos.) has been received (enclosed). Process for getting NOC from PWD and Irrigation is under progress. We undertake to submit all NOC to Forest department., Kindly process our proposal according to MoEFCC (enclosed) FC-11/36/2022-DGM dated 07.03.2022.
3. Demarcation of forest areas depicted in the .Kml file are in order as per the joint inspection report. Total required Forest area has been covered in Kml file.

महोदय आपसे निवेदन है कि बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर वन भूमि से संबन्धित प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/156518/2022 पर आगे की कार्यवाही करने की कृपा करे|

धन्यवाद|

महावीर सिंह
उप परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL, मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Project Manager (Electrical)
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

File No.FC-11/38/2022-DGF

By Speed Post/E-mail

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)
****

Indira Prayavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003
Dated: 07th March, 2022

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Government

Subject: Prerequisite of NOC of State PWD/NHAI or other similar agencies having RoWs in case of submission of proposal related to Forest (Conservation) Act-1980 on PARIVESH portal-regarding

Madam/Sir,

I am directed to refer to communications received from various agencies for setting up retail outlet under the RoW of State PWD/NHAI or other similar agencies on the above subject requesting to allow the User Agency to submit the NOC of the State PWD/NHAI, as required for setting up such outlets on RoWs, not as a prerequisite at the beginning of submission of application on PARIVESH portal, but at any level of processing of the proposal on PARIVESH, under Forest (Conservation) Act, 1980.

The matter was examined in the Ministry and it is to clarify that, the State/ UTs Government may consider the acceptance of NOCs issued by State PWD/NHAI or other similar agencies for setting up of retail outlets under RoWs at any level on PARIVESH portal. The undertaking along with acknowledgment of the agencies owning RoW from the User Agency stating that they have initiated the process of obtaining NOC may be considered for initial submission of proposal on PARIVESH. It is also to clarify that the process of obtaining NOC and its submission must be completed before the submission of such proposals to Integrated Regional Office, provided that no such proposals in any case give rise to a situation of *fate accompli* or involved in violations of Forest (Conservation) Act, 1980 or other related Central or State Acts.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'D'
Tele: 011 - 24695459
E-mail: c.jsingh@gov.in

Copy for information to:
1. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All State/UT Governments.
2. The Regional Officers, All IROs of the MoEF&CC.
3. The Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, All State/UT Governments.
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi.
5. Guard Folder.

Project Manager (Electrical)
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

(39)

संख्या:- 63-Elect/1858/E-4

उत्तर रेलवे

e: 31.05.2022

मंडल रेल प्रबंधक,
कार्यालय, नई दिल्ली

oject Manager/Electrical, DFCCIL
Floor, Shri Bala Jee Commercial Complex,
t No. C-2, Pocket-B, Sector-1, Ved Vyaspuri,
Pass NH-58, Meerut, U.P., 250002

ub:- Proposed way leave facility for crossing of 132 kV D/C Transmission Line crossing between railway station Jarauda Nara & Mansur Pur on GZB-SRE section at TP no. 113/13 & 113/14.
(Application ID: NIL)

ermission is here by accorded for the construction of the above crossing in the position and manner shown n drawing no. Nil received with your letter under reply and in accordance with the agreement/memo of erms incorporating the condition and specification there in and also the "REGULATIONS COVERING THE PLACING OF ELECTRIC TRANSMISSION LINES ACROSS RAILWAY TRACKS" issued by the Railway Board.

Under clause of the Agreement/Memo of terms you are required to given notice of at least seven days to the Sr. Section Engineer/W/MOZ, N.Rly, Sr. Section Engineer/P.WAY/MOZ, N.Rly and Asstt. Engineer/MTC. N.Rly at MTC and Sr. Divisional Engineer/II, N.Rly. New Delhi to enable to take safety and precautionary measures where necessary before any work is actually commenced across or on the Railway land & Track.

You may please advise this office when the construction of the crossing completed and ready for inspection by the Railway. **Before charging the line inspection has to be conducted by the undersigaed/representative of undersigned, please inform accordingly.**

For **Sr. Divn. Elect. Engg./G**
N.R. New Delhi

DA/1- Copies of approved drawing forwarded for information
To: **General Manager(Elect.), N.Rly., B. House, New Delhi**
Sr. Divisional Engineer/II, N.Rly., New Delhi
Sr. Divisional Electrical Engineer/TRD/ New Delhi
ADEN/MTC/N.Rly.
SSE/PS/MTC/N.Rly.

Project Manager (Electrical)
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

(5)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways Government of India)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई – मेरठ
Project Implementation Unit, Meerut
ए–1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईटस, कंकरखेड़ा, एन.एच.–58, मेरठ–250001
A-1,Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkhera, NH-58, Meerut-250001
टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org

NHAI/PIU-MRT/11041/2022/D-24523

01.06.2022
Dated: 31.05.2022

To,

Project Manager/Electrical
Dedicated Freight Corridor Corporation of India,
3rd Floor, Shri Bala Jee Commercial Complex,
Plot No. C-2, Pocket-B, Sector-1, Ved Vyaspuri, Bypass NH-58,
Distt – Meerut, U.P.

Subject: Submission of National Highway crossing proposal of "132 KV D/C Talheri-Jarauda Nara Transmission Line" village Bahadurpur, Km. 109+540 at New NH-334 (old NH-58) District Muzaffarnagar.

Reference: 1. Regional Office, West UP, Lucknow letter No. 19011/1/RO-W-UP/NH-334/Km. 109+540/132KV/OH/1372 dated 26.05.2022
2. M/s Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. letter no. DFFCIL/MRT/NHAI/7 dated 06.01.2022

Sir,

In reference to your above refer letter, vide which you have submitted the permission for NOC overhead powerline crossing proposal of "132 KV D/C Talheri-Jarauda Nara Transmission Line" village Bahadurpur, Km. 109+540 at New NH-334 (old NH-58) District Muzaffarnagar.

Competent Authority/Regional Office, West UP, Lucknow, NHAI, vide letter under reference S.No. 1 ha been examined the proposal in the light of Ministry' guidelines issued vide letter No. NH-III/P/20/77 dated 08.04.1982 and Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R dated 22.11.2016 is hereby accorded by Competent Authority. In this regard, **Competent Authority has authorized Project Director on behalf of NHAI for signing of License Agreement with the Applicant under intimation to Competent Authority.**

The subjected approval to ensue the compliance of following condition before according permission:-

(i) The minimum Ground Clearance of HT Lines over NH should be 6.1m for 132KV shall be maintained.
(ii) The crossing will be done as per the proposed/agreed location route outside ROW, as per proposed layout plan.
(iii) The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
(iv) Appropriate fees be levied for use of NH land for laying of Utilities as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R dated 22.11.2016.
(v) Undertaking to the following effect may be taken from the applicant and made part of the agreement:-
   a. Three copies of "As Laid Drawings" of utilities (Hard and Soft copies) shall be submitted to Highways Authorities for verifications and record within a month of completion of work.
   b. The permission may be terminated immediately on violation of the agreed terms & conditions.

Project Manager (Electrical)
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
~~DFCCIL/~~डीएफसीसीआईएल
Meerut/मेरठ

c. The execution of the proposal by the Applicant would not hinder the future widening, if any, at the particular location and if required then the applicant would ensure shifting of their utility at their own cost without any liability to NHAI in a time bound manner prescribed by NHAI.

d. Ensure that the submitted Agreement is in prescribed format as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R dated 22.11.2016 for execution with the applicant, and BG be obtained as per the Circular.

e. Work programme form the Applicant may be obtained and ensure timely completion.

f. The compliance of various undertakings given by the Applicant may be ensured before and after signing of License Agreement, as the case may be in the interest of safety of road users and NHAI.

(vi) The Installation of transmission line shall conform to IRC-32-1969, in addition to aforementioned Ministry's Guidelines.

(vii) It shall be the responsibility of the Applicant to ensure the Safety and maneuverability of Highways Traffic against the hazards of the high voltage lines.

(viii) The approval is based on the submissions made by the Applicant as verified by the PD, PIU-Meerut. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.

(ix) In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal or shifting of transmission line, the same shall be carried out by the Applicant at its own cost to the Satisfaction the Highway Administrator.

(x) In case of violation of the norms of Ministry's Guidelines, the NOC automatically stand withdrawn.

(xi) IRC: 98-2011 be complied wherever applicable.

In this regard, it is requested you to make agreement regarding granting of right of way permissions for laying utility services on National Highway including above mentioned conditions.

Yours Faithfully

(D.K. Chaturvedi)
GM (T)/ Project Director

Encl.: As above.

Copy to:

DGM(TLC), POWERGRID, Mataur, Meerut –for information.

Project Manager (Electrical)
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

संलग्नक संख्या–

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Approach/156518/2022

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित स्थलों का आज दिनांक– 25.01.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया संयुक्त निरीक्षण में क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर एवं डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ के अधिकारी उपस्थित रहे, संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया प्रस्तावित पारेषण लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, प्रश्नगत प्रस्तावित पारेषण लाईन के निर्माण में दिल्ली–रूडकी –मसूरी मार्ग (एन0एच0–58) कि0मी0 109 एवं मुजफ्फरनगर–शामली मार्ग (पानीपत–खटीमा मार्ग कि0मी0 69) के दोनो पटरी के किनारे विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्ष बाधक है एवं पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग निहित है एवं 0.1701 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसका कोई विकल्प नहीं है। बाधक वृक्षों की सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(महावीर सिंह)
परियोजना प्रबन्धक(विद्युत)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
मेरठ

Dy. Project Manager (Electrical)
उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

2^d क्रम - 3

पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूड़की, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डब्ल सर्किट "तलहेडी टी0एस0एस0-जडौदा नारा" पारेषण लाईन निर्माण में प्रयोजना का सहारनपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभाग का प्रस्ताव।

On line Proposal N0.FP/UP/Approach/160510/2022

:: संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ::

जनपद सहारनपुर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूड़की, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डब्बल सर्किट "तलहेडी टी0एस0एस0-जडौदा नारा" पारेषण लाईन निर्माण हेतु सहारनपुर-पंडोली मार्ग, पंडोली-नन्दी फिरोजपुर मार्ग, नन्हेडा-युढढाखेडा मार्ग, चहलोली-गांगनौली मार्ग, ग्राम गांगनौली-नागल मार्ग, डगरौली-कुकावी मार्ग, कुकावी-नगली मार्ग एवं नगली-मनोहरपुर ग्रामीण मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 26.12.2022 को क्षेत्रीय वनाधिकारी, देवबंद एवं डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ के अधिकारी उपस्थिति रहे। सयुंक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि सहारनपुर वन प्रभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित लाईन निर्माण हेतु ग्रामीण मार्गो एवं नहर के ऊपर से गुजरगी जिसमें से कोई भी मार्ग संरक्षित/आरक्षित वन भूमि घोषित नही है, जिस कारण सहारनपुर वन प्रभाग अन्तर्गत प्रयोजन के भाग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होते है।

(क्षेत्रीय वनाधिकारी)
देवबन्द
सा0 वा0 प्रभाग सहारनपुर

(Kanhaiya Patel)
Divisional Director
Social Forestry Division
SAHARANPUR

26/12/2022
Dy. Project Manager (Electrical)
उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

C/A

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(93A)

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

DFCC-Power Grid

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर।

पत्रांक-2471/ 14-1(FP/UP/Trans/156518/2022) दिनांक, सहारनपुर, 29.12.2022 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर व जनपद सहारनपुर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0-जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर व जनपद सहारनपुर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0-जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग निहित है, तथा सहारनपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 61.9272 हे0 गैर वन भूमि मात्र का प्रयोग निहित है, परियोजना में सहारनपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत संरक्षित /आरक्षित वन भूमि का प्रयोग निहित नहीं है। जिस कारण जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नहीं होते है। तद्नुसार विषयक ऑनलाईन प्रस्ताव में जनपद सहारनपुर की ओर से भाग-।। में प्रविष्टियों की आवश्यकता नहीं है।

अतः महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

संख्या /14-1(FP/UP/Trans/156518/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

2-श्री महावीर सिंह, उप परियोजना प्रवन्धक, (इलैक्ट्रिकल) डी0एफ0सी0सी0आई0एल, मेरठ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

45

33B

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्र
मुजफ्फरनगर